न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—210/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/00210)

1. ईश्वरचंद पुत्र श्री रामदेव
2. दिलीपकुमार पुत्र श्री रामदेव
3. ललित कुमार पुत्र श्री रामदेव
4. लीला देवी पुत्री श्री रामदेव
5. पुष्पा देवी पुत्री श्री रामदेव
6. लता पुत्री श्री रामदेव

समस्त जाति टांक निवासी ग्राम जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. पीरू पुत्र लाडू
2. कालू पुत्र लाडू
3. ईस्माईल पुत्र लाडू

समस्त जाति मेरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

4. मेहताब सिंह पुत्र लाखासिंह जाति रावत निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. सुरेश चंद्र पुत्र भंवरलाल
6. श्रीमती मैना पुत्री भंवरलाल

दोनों जाति महाजन निवासी ब्यावर जिला अजमेर।

7. देवी पुत्र उदयसिंह जाति रावत, निवासी बिच्छुचौडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
8. मांगीलाल पुत्र देवा जाति नाई
9. श्रीमती कंवरी देवी पत्नि नारायण जाति रावत
10. उमसिंह पुत्र जफरू जाति रावत

समस्त निवासी जालिया प्रथम पातलातो का बाडिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

11. श्रीमती नियामत पत्नि मो0 ईस्माईल जाति मेहरात
12. निजाम पुत्र पीरू जाति मेहरात
13. मोहनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत
14. मेहताब सिंह पुत्र लाखा जाति रावत
15. सुबान पुत्र महाडा जाति मेहरात
16. अमीन पुत्र पीरू जाति मेहरात
17. श्रीमती सलमा पत्नि छितर जाति मेहरात

समस्त निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

18. श्रीमती अनिता पत्नि अशोककुमार जागिड निवासी श्रंगार चंवरी, अजमेर
19. श्रीमती कमला देवी पत्नि राजेश्वरप्रसाद जांगिड निवासी प्रतापनगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
20. मोहन लाल पुत्र उदयलाल जाति घोसी निवासी कांकरोली जिला राजसमंद।
21. श्रीमती जमना देवी पत्नि प्रभू सिंह जाति रावत निवासी मालपुरा बाडिया सुबेदार का तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
22. अनवर हुसैन पुत्र मंगला मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

23. शोभा राठोड पुत्री मेहताबसिंह जाति राजपूत निवासी सर्राफान मौहल्ला ब्यावर।
24. नीम्बा पुत्र सुवा जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
25. शिवनारायण पुत्र नेतसिंह जाति चौहान राजपूत, निवासी बगडी कलालिया बाडिया भैरू बाबा लोटियाना तहसील रायपुर जिला पाली।
26. लालसिंह पुत्र देवीसिंह चौहान जाति चौहान रावत निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
27. तिलोकचंद सिंह पुत्र पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी आई ओ सी कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर।
28. कालू पुत्र बिरदा जाति मेहरात निवासी बोरवा तहसील भीम जिला राजसमंद।
29. ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम लाल जाति ब्राहम्ण निवासी जवाजा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
30. लालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावत, निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
31. रामचन्द्र तोनवाल पुत्र माधूमल तोनवाल जाति माली निवासी आई0ओ0सी0 कॉलोनी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर।
32. लक्ष्मण सिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत
33. श्रीमती बानो पत्नि गुलाब जाति मेहरात
34. उम्मेद पुत्र ईस्माईल जाति मेहरात
35. श्रीमती रेशमी पत्नि ईस्माईल जाति मेहरात
36. श्रीमती मेहफूल पत्नि पीरू जाति मेहरात
    समस्त निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
37. हैप्पी पुत्र चिमन भाटी जाति राजपूत निवासी मेयो कॉलेज, अजमेर।
38. छीतर काठात पुत्र सुवा काठात जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
39. अशोक सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी सेन्दडा रोड ब्यावर जिला अजमेर।
40. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2020 राजस्व वाद संख्या 15/2018(2018/60).

उपस्थितः–

1. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 12, 14, 16, 33 से 36
3. श्री सूरजसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 27, 31
4. श्री धमेन्द्र टांक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 29
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 40
6. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4, 7 से 11, 13, 15, 17, 19 से 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37 से 39 अनुपरिस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 26.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018(2018/60) में पारित आदेश दिनांक 01.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। जिस पर अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय दिनांक 01.10.2020 को करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018(2018/60) में पारित आदेश दिनांक 01.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 4, 7 से 11, 13, 15, 17, 19 से 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37 से 39 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अत्यंत ही अवैधानिक पहुंच रखते हुए प्रकरण को निर्णित किया है, राजस्व नक्शे से यह संदेह से परे साबित है कि कोई भी स्वीकृत रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 568 व 635 में जाने हेतु नहीं है तथा इस भूमि में जाने हेतु प्रार्थीगण का अन्य खेतों की मेड से बेमुश्किल गुजर कर जाना पडता है, तथा स्वीकृत रास्ता नहीं होने से कृषि यन्त्र टेक्टर आदि ले जाने में भारी परेशानी होती है तथा इस बिंदु को नजरअंदाज करते हुए उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर ने मात्र यह मानते हुए पडौसी खातेदारान के खेतों की मेडों का उपयोग कर रहा है जिसे उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर ने रास्ता होना मानते हुए निर्णय पारित कर दिया, तथा धारा 251ए के संदर्भ में प्रकरण का किसी भी प्रकार से विवेचन किए बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान विधायका द्वारा इस उदेश्य से किए गए कि जहां पर कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव हो तथा यदि वे काश्तकार रास्ते हेतु आवेदन करने के साथ ही स्वीकृत किए जा रहे रास्ते की भूमि की जिला स्तरीय दर की दुगुना राशि अदा कर दे, तो उक्त भूमि को रास्ते के रूप में अंकित किया जाएगा, तथा जब प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में मनमाना विवेचन कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर त्रुटि कारित की है। खसरा संख्या 567 के वर्तमान खातेदारान जो जमाबंदी में वर्णित है तथा उनके द्वारा भूमि को पृथक-पृथक भाग कर रास्ते भी छोडे गए है तथा खसरा संख्या 567 प्रार्थीगण की आराजी के चिपता हुआ है तथा खसरा संख्या 567 की भूमि राजस्व अभिलेखों में आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा ऐसी स्थिति में चाहे गए अनुतोष बाबत विधिक प्रावधानों के अनुसरण में विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों तथा दस्तावेजों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समुचित रूप से परिक्षित किए बिना अत्यंत ही मनमाने तरीके से जो विवेचन किया गया है तथा जो निष्कर्ष प्रदान किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि वास्तव में अपीलार्थीगण के खसरा संख्या 568 व 635 में जाने हेतु रास्ता नहीं है तथा सुविधाजनक रास्ता जिस प्रकार से रिपोर्ट में दर्शाया गया है उस पर विचार किए बिना उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018(2018/60) में पारित आदेश दिनांक 01.10.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 12, 14, 16, 33 से 36 ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि खसरा नंबर 567 में से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 39 की खरीदशुदा खातेदारी की भूमि है जिसमें से तथाकथित रास्ता नहीं रहा है एवं जो अभी भी खेती के काम में इसके खरीददार प्रयोग में लेते आ रहे है, ना कोई तथाकथित कोलोनी का लेआऊट प्लान सक्षम अधिकारीयों द्वारा पारित किया गया है, इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 39 की नियत बद्ध होने वाली बात बिल्कुल गलत असत्य है, तथा पूर्व मालिक ने जो खसरा नंबर 567 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 39 को बेचान की है, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा वादीगण का कोई रास्ता होना नहीं बताया है। इसलिये तथाकथित तारीखों को बन्द करने वाली बात तथा अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देने वाली बात गलत व झूठी व बनावटी मनघडंत है। खसरा संख्या 567 में कोई कॉलोनी कटी हुई नहीं है, और 20–20 फीट चौडे रास्ते हैं और ना कोई प्लॉट अप्रार्थीगण को बेचान किये गये हैं और ना उसके आने जाने का कोई रास्ता बताया गया है बल्कि खसरा संख्या 567 अविभाजित हिस्से बेचान किये गये हैं, ना कोई प्लॉट बेचान किये गये हैं इसलिये तथाकथित कोई रास्ते खुलवाने की आवश्यकता ही नहीं है। धारा 251 ए राज० काश्त० अधि० का दावा प्रार्थीगण ने अपने टाईटल में अंकित करके त्रुटी की है। जबकि अनुसूची तीन के पार्ट दो के क्रम संख्या 81 ए में प्रार्थना पत्र का ही प्रावधान है इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण का शुरू से खसरा नंबर 568, 635 में आने जाने का रास्ता ब्यावर–जालिया रोड से खसरा नंबर 582 में स्थित स्कुल की बाउण्ड्री के पास पूरब में स्थित रास्ता बना हुआ है, जो खसरा नंबर 644 से मिलकर 633 के कुंए के पास से होकर मोडखाकर खसरा नंबर 634 में से होकर खसरा नंबर 635 में और उसके बाद खसरा नंबर 568 में आने जाने का रास्ता जब से गांव बसा है, तब से ही आता जाता है तथा वहां स्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा नंबर 610, 609 जो खसरा नंबर 635 के उत्तर में आये हुये है, उसमें भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 उसी रास्ते का उपयोग करते है। इसी प्रकार से खसरा नंबर 641, 640, 639, 638 के खेत मालिक भी इसी रास्ते से अपने खेत में आते जाते है। इसके अलावा प्रार्थीगण जबकि खेत खसरा नंबर 565, 566 की उत्तरी पाली से होकर पश्चिम में पूरब खेत खसरा नंबर 565 में पैदल व बेलगाडी से आते जाते रहते है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जबकि उक्त खसरा नंबर 565, 566 में फसल खडी नहीं हो इस प्रकार सें प्रार्थीगण के पास अल्टरनेटीव रास्ता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विवादित आराजीयात जो कि मौका जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित है, जिसके आराजी खसरा संख्या 568 रकबा 3–3–10 बीघा व खसरा संख्या 635 रकबा 3–12–00 बीघा अपीलांट की खातेदारी भूमि की आराजीयात है जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड से होती है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 567 में से रास्ता चाहा गया है जो कि नया नगर कॉलोनी जालिया प्रथम में स्थित है। जिसके की खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 39 है जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 567 में से अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 568 व 635 में से आने जाने हेतु खसरा नम्बर 567 विद्यमान 20 फीट रास्ते को खुलवाया जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि खसरा नम्बर 567 में आवासीय कॉलोनी विकसित है व कई भूखण्डों पर पक्के मकान आदि का निर्माण किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

हमारे द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.8.2020 का अवलोकन किया गया। *" प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जालिया प्रथम के वादग्रस्त खसरा नम्बर 568 व 635 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में पडोस के खातेदारी खेतों की मेडों से होकर अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से खसरा नम्बर 567 की भूमि से ही होकर राजकीय विद्यालय के पास आबादी भूमि खसरा नम्बर 542 में मौके पर रास्ता है जो मुख्य सडक मार्ग से लगते हुए व सुविधाजनक है। खातेदार की भूमियों से मुख्य सडक तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 567 की भूमि आती है जिसमें पुराने समय से विद्यमान कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी स्थित है जिसमें अधिकांश भूखंडों पर पक्के मकानात बने हुए है वक्त जांच प्रार्थी ने खसरा नम्बर 567 में स्थित आवासीय कॉलोनी का ब्लूप्रिंट की छायाप्रति पेश की जिसमें भूखण्डों पर आने जाने हेतु 20 फीट चौडा रास्ता दर्शाया हुआ है जिन पर भूखण्ड धारकों द्वारा आंशिक रूप से रास्ते की भूमि को अपने भूखण्ड में शामिल करा लिया है जिससे रास्ते संबंधी समस्या प्रार्थी को उत्पन्न हुई है तथा प्रार्थी ने बताया कि पूर्व में खसरा नम्बर 567 में स्थित कृषि भूमि पर बनी कॉलोनी के भूखण्डों के साथ लगते हुए 20 फीट चौडे रास्ते से होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 568 पर आना जाना व खसरा नम्ब 568 में से खसरा नम्बर 635 की भूमि पर आना जाना करते थे। "*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 568 व खसरा नम्बर 635 पर आने जाने हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 567 पर 20 फीट रास्ता है जिसको की उसके खातेदारों द्वारा अपने भूखण्ड में शामिल कर लिया गया है। तो यह भू धारक का कर्तव्य है कि उक्त कदीमी रास्ते को अवरोध मुक्त करवाए व खातेदार/काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंचने हेतु सुलभ रास्ता प्रदान कराया जावे। परंतु उनके द्वारा उक्त संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में उक्त बिंदु के संदर्भ में बिना किसी विवेचना के निर्णय पारित किया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है। चूंकि कि खसरा नम्बर 567 आज भी राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि ही अंकित है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्यमान कानून उस पर लागू होते है व उस पर आवासीय कॉलोनी बन जाने मात्र से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी विधिसम्मत कारण के खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि उक्त मौका रिपोर्ट में कोई वैकल्पिक मार्ग है या नहीं उसका भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018(2018/60) में पारित आदेश दिनांक 01.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करे व खसरा नम्बर 567 में से आवासीय कॉलोनी कट गई है तो आवासीय कॉलोनी में आवागमन हेतु रास्ता विद्यमान होगा उस रास्ते का भी समुचित विश्लेषण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष दिनांक 10.06.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner